संक्षिप्त

आरोपी गिरफ्तार

टोंक। अति. पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सैल कमल प्रसाद के निर्देशन में चलाये जा रहे महिला सुरक्षा को लेकर मनचलो के खिलाफ डिकॉय ऑपरेशन के तहत कालिका पेट्रोलिग यूनिट देवली के द्वारा कस्बा देवली में पैदल जा रही महिलाओं के आगे पीछे आरोपी अपनी मोटरसाईकिल के स्टन्ट करता हुआ मिलने पर तथा महिलाओं पर फब्तिया कसने पर गैरसायल को कालिका पेट्रोलिग यूनिट देवली ने डिटेन कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विशाल पुत्र रमेश कुमार मीणा उम्र 19 साल निवासी टोकरावास थाना दूनी के खिलाफ थाना देवली में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।

जुआ खेलते 4 जनें गिरफ्तार

निवाई। सदर थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर ताश पत्ती पर रुपयों का दांव लगाकर जुआ खेलते हुए चार आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50 हजार 500 रुपये की जुआ राशि जब्त की है। सदर थानाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से दांव लगा रहे गिरराज सिंह पुत्र शंभु सिंह निवासी खण्डेवत, रेवत सिंह पुत्र हनुमान सिंह निवासी चुराड़ा, खेमराज पुत्र कालुराम गुर्जर निवासी गंगापुरा पीपलू व कानाराम पुत्र लक्ष्मण गुर्जर निवासी जोधपुरिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शनि मंदिर में भजन संध्या आज

निवाई। शिवाजी पार्क के समीप स्थित शनि मंदिर में शनिवार को शनि अमावस्या एवं शनि जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर पुजारी राधेश्याम शर्मा ने बताया कि शनि महोत्सव को लेकर शुक्रवार की रात मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन होगा। शनिवार को शनि जयंती पर सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भगवान शनि देव की निज मूर्ति पर शनि भक्त तेलाभिषेक कर सकेंगे। इसके बाद शाम को भगवान शनि देव, शिव पंचायत व हनुमान जी की विशेष सज्जा कर फूलों से झांकी सजाई जाएगी। शाम को महाआरती का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि 25-26 वर्ष बाद इस साल पहली बार शनि अमावस्या व शनि जायंति एक ही दिन है।

बजरी से भरा एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

निवाई। थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन व परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैघ बजरी से भरे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। थानाधिकारी घासीराम मीणा ने बताया कि पुलिस टीम ने गस्त के दौरान कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। ट्रैक्टर चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर के मालिक व चालक के खिलाफ एमएमडीआर एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक भारती, कांस्टेबल कप्तान सिंह व कांस्टेबल मनोज शामिल रहे।

पीले चांवल देकर किया आमंत्रित

निवाई। किसान महापंचायत के तत्वावधान में आयोजित जल यात्रा को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष दशरथ सिंह पलेई के नेतृत्व में कार्यकर्ता गांवों गांवां में पीले चावल देकर किसानों को आमंत्रित कर रहे है।

अधूरे सड़क निर्माण के बीच टोल वसूली शुरू करने का विरोध

ग्रामीणों ने अधूरे सड़क निर्माण के बीच बागावास चौरासी टोल प्लाजा शुरू कर टोल वसूली शुरू करने का विरोध किया।

पावटा। राष्ट्रीय राजमार्ग 248-ए पर बागावास चौरासी टोल प्लाजा गुरुवार से शुरू हो गया। टोल संचालन शुरू होते ही स्थानीय ग्रामीणों, वाहन चालकों और जनप्रतिनिधियों ने अधूरे सड़क निर्माण के बीच टोल वसूली शुरू करने का विरोध जताया। टोल शुरू होने के बाद क्षेत्र में चर्चा के साथ विरोध के स्वर तेज हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में वाहन चालकों से टोल वसूली करना उचित नहीं है। स्थानीय लोगों ने टोल प्लाजा पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए पहले सडक निर्माण पूरा कराने की मांग उठाई। स्थिति को देखते हुए मौके पर भाबरू थाना प्रभारी प्रदीप मय टीम पहुंचे व समझाइश का प्रयास किया जिस पर टोल मैनेजर गोपाल तोमर ने बताया कि टोल प्लाजा पर फास्टैग और यूपीआई के माध्यम से कैशलेस भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, साथ ही 20 किलोमीटर दायरे में आने वाले स्थानीय गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए 340 रुपए का मासिक पास बनाया जाएगा, जिससे वाहन चालक एक महीने तक अनलिमिटेड ट्रिप कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि कार, जीप, वैन एवं हल्के निजी वाहनों के लिए 35 रुपए, हल्के कॉमर्शियल वाहनों के लिए 55 रुपए, बस और ट्रक के लिए 115 रुपए, बड़े व्यावसायिक वाहनों के लिए 125 रुपए, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी के लिए 180 रुपए तथा ओवरसाइज्ड वाहनों के लिए एक साइड का 215 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। जानकारी के अनुसार यह टोल प्लाजा एमडी करीमुनीसा कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। टोल शुरू होने के साथ ही क्षेत्र में लोगों के बीच सुविधा और शुल्क व्यवस्था को लेकर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है।

भामाशाह सम्मान समारोह 26 जून को

फुलेरा। माली सैनी समाज धर्मशाला विकास समिति भंदे बालाजी के तत्वावधान में आगामी 26 जून 2026 को आयोजित होने वाले विशाल भामाशाह सम्मान समारोह की तैयारियों को लेकर 16 मई, शनिवार शाम 5 बजे माली सैनी समाज भवन श्रीराम नगर फुलेरा में समाज बंधुओं की आवश्यक बैठक आयोजित की जाएगी। धर्मशाला समिति के अध्यक्ष गौसेवक अमर चन्द सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में माली सैनी समाज संस्थान के पदाधिकारियों, प्रबुद्धजनों, मातृशक्ति एवं आसपास के क्षेत्र के समाज बंधुओं की उपस्थिति अपेक्षित रहेगी।

उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आ ान किया है। गौरतलब है कि भंदे बालाजी में आयोजित होने वाला विशाल भामाशाह सम्मान समारोह समाज के प्रतिभावान एवं सहयोगी भामाशाहों के सम्मान के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धर्मशाला विकास समिति के पदाधिकारी लगातार समाज बंधुओं से संपर्क कर जनसहयोग जुटाने में सक्रिय रूप से प्रयासरत हैं।

पीएम के आव्हान के बाद रेल मंत्री व सीएम का अलवर दौरा स्थगित

अलवर, (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का 15 मई का अलवर दौरा स्थगित हो गया है। हालांकि, अलवर और भिवाड़ी में करीब 1 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों के कार्यक्रमों का लोकार्पण होगा, जिनमें मुख्यमंत्री और रेल मंत्री वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। 15 मई शुक्रवार को अलवर के बुर्जा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय हो गया था। बुर्जा में सभा स्थल और रात्रि चौपाल की तैयारी करीब-करीब पूरी कर ली गई थी, लेकिन अब अचानक कार्यक्रम में बदलाव किया है।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि देशभर में ऊर्जा संरक्षण और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान के बाद अलवर लोकसभा क्षेत्र में होने वाले उद्घाटन कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से करने का फैसला लिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम से ही कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री का 15 मई को अलवर और भिवाड़ी में होने वाले कार्यक्रमों में आने का कार्यक्रम तय हो गया था।

3 दिन पहले मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास भी अलवर आए थे, लेकिन अब अचानक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की स्थगित होने की जानकारी आ रही है। एडीएम सिटी बीना महावर का कहना है कि वैसे तो कोई कार्यक्रम आया नहीं है, लेकिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री के अलवर आने का कार्यक्रम नहीं है। यह जानकारी में आया है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर अलवर शहर में रेलवे जंक्शन के पास मछली मार्केट को पूरा साफ कर दिया गया, यहां की दुकानें हटा दी गई है। पुराने खोखे दूर कर दिए। पूरे नाले की सफाई करा दी गई है। आसपास के दुकानदार यहां सालों से सफाई की मांग करते रहे हैं, लेकिन मछली मार्केट की गंदगी नहीं हटा सके। अब अचानक पूरा मार्केट हटा दिया। दुकानदारों का कहना है कि उनकी रोजी रोटी यही है। अब दुकान हटाने के बाद कहां जाएं। यह प्रशासन ने नहीं बताया, जबकि उनकी तीन पीढ़ियां यहां दुकान चलाती आ रही है।

प्रभावना महिला मंडल की महिलाओं ने लगाएं परिण्डे

निवाई। श्री दिगम्बर जैन धर्म प्रभावना महिला मंडल के तत्वावधान में जैन समाज की महिलाओं ने भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंडे बांधे। महिलाओं ने परिण्डे बांधकर प्रतिदिन पानी डालने का संकल्प लिया। धर्म प्रभावना महिला मण्डल मीडिया संयोजक संजू जौला ने बताया कि प्रचण्ड गर्मी मौसम में महिलाओं ने पक्षियों के परिण्डे बांधे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी सीताराम कटारा एवं विशिष्ट अतिथि विमल सोगानी, महावीर प्रसाद छाबड़ा, प्रेमचंद सोगानी एवं विमल जौला ने भगवान महावीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि सीताराम कटारा ने कहा कि इस भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करना बहुत नेक और सराहनीय कार्य है। महिला मण्डल अध्यक्ष उर्मिला सोगानी, संगीता संघी, शकुंतला छाबड़ा, मैना सोगानी, स्वाति सोगानी, मुन्नी देवी सोगानी, डॉ. प्रिती जैन, पिंकी सोगानी, बीना सोगानी, सुरभि जैन, सपना जैन, तृप्ति जैन, चंचल जैन, इन्द्रा जैन, मोना रजवास व संजू पाटनी सहित कई महिलाओं ने परिण्डे बांधकर प्रतिदिन पानी डालने एवं अपने अपने घर पर पक्षियों के पानी के लिए परिण्डे बांधने का संकल्प लिया।

महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारियां दी

निवाई। शहर के वार्ड नंबर 5 की आंगनवाडी केन्द्र में महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक मेरिगटन सोनी के नेतृत्व में महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र से काउंसलर डॉ सुनीता शर्मा एवे एडवोकेट नीतू सिंह विजय ने महिला अधिकारिता विभाग की लाडो उद्यम प्रोत्साहन योजना, उड़ान योजना, लाडो उद्यम प्रोत्साहन योजना, शिक्षा सेतु योजना ड्रॉप आउट महिलाओं को 10वी 12वी पास करने के लिए योजना, निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना, बेसिक कंप्यूटर योजना, सामूहिक विवाह अनुदान योजना एवं सखी वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सभी सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक, परामर्श ,पुलिस सहायता व अस्थाई आश्रय प्रदान करने वाली सरकारी योजना की जानकारी दी। इस दौरान घरेलू हिंसा, लेगिंग उत्पीडऩ, एवं कार्य स्थल पर होने वाले यौन शोषण के बारे में बताते हुए महिलाओं को महिला हेल्पलाइन, गरिमा हेल्प लाइन नंबर, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन व साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया।

आयुष्मान आरोग्य योजना पर चर्चा

- सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बालिकाओं को लगाए टीके, सुरक्षित है टीका-सीएमएचओ

टोंक। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलेक्टर टीना डाबी की निर्देशन में सीएमएचओ सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सीएमएचओ डॉ शैलेन्द्र सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय कार्यक्रमो की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।

सीएमएचओ डॉ शैलेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि बैठक में एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान, मौसमी बिमारियों की समीक्षा, हीट वैव की समीक्षा, लाडो प्रोत्साहन योजना की समीक्षा, सम्पर्क पॉर्टल की समीक्षा, यूडीआई कार्ड की समीक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की पीपीटी द्वारा समीक्षा, टीबी मुक्त भारत की समीक्षा, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, बायोमेडिकल वेस्ट इत्यादि पर समीक्षा की गई एवं कार्यो में कम प्रगति वाली चिकित्सा संस्थानो को कार्य में सुधार के निर्देश दिए।

सीएमएचओ डॉ चौधरी द्वारा जिले में बढ़ते तापमान एवं हीटवेव की स्थिति को देखते हुए चिकित्सा अधिकारियों एवं चिकित्सकों को बैठक में हीटवेव से प्रभावित रोगियों के उपचार एवं आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए।

सीएमएचओ ने सभी चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, ओआरएस, आईवी फ्लूड, कूलिंग व्यवस्था एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हीट स्ट्रोक एवं डिहाइड्रेशन के मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

सीएमएचओ डॉ शैलेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि प्रदेश सहित जिले में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव हेतु अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए चलाया जा रहा है जिसमें उन्हें नि:शुल्क एचपीवी वैक्सीन लगाई जा रही है।

यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में अत्यंत प्रभावी एवं सुरक्षित मानी जाती है। भारत सरकार द्वारा बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने हेतु संचालित एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम की महत्वता को मध्यनर रखते हुए लक्षित आयुवर्ग के शत-प्रतिशत लाभार्थियों का एचपीवी टीकाकरण के लिये विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। 100 दिवसीय टीबी मुक्त कार्यक्रम के अर्न्तगत आयोजित होने वाले आयुष्मान आरोग्य शिविरो की समीक्षा की गई।

इस हेतु डॉ. इंद्रजीत सिंह निदेशक, एसटीडीसी अजमेर ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। टीबी मुक्त अभियान की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान डॉ. इंद्रजीत सिंह ने टीबी प्रोग्राम की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया, उन्होंने 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत चिन्हित किये गये हाई रिस्क गावों मे शिविर लगाकर स्वास्थ्य कर्मियो सीएचओ, एएनएम, आशा सहयोगिनियो के पास मौजुद वलरेबल पोपुलेशन की लाईनलिस्ट की स्क्रिनिंग कर तय किए गए लक्ष्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। शिविर मे चेस्ट ऐक्स रे के साथ बीपी शुगर की निशुल्क जाचं भी की जावे। उन्होने समस्त सीएचसी इर्न्चाज को निर्देश दिये कि प्रतिदिन 50 एक्स रे या ओपीडी का 10 प्रतिशत एक्स रे की जावे।

बैठक में सीएमएचओ डॉ शैलेन्द्र सिंह चौधरी, आरसीएचओ डॉ वसीम, डॉ नानु राम कुलदीप, डॉ राहुल श्रीवास्तव, एएसओं पन्नालाल बैरवा समस्त ब्लॉक बीसीएमओ, पीएमओ समस्त एसडीएच, सीएचसी इन्चार्ज, सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में एस.डी.एम. के समक्ष दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं रखी

सांभर के अटल सेवा केंद्र में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम एसडीएम ऋषिराज कपिल की मौजूदगी में किया।

सांभरझील, (निसं)। क्षेत्र में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासन को जनता के करीब लाने के उद्देश्य से गुरुवार को सांभर के अटल सेवा केंद्र में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सांभर एसडीएम ऋषिराज कपिल ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इसमें क्षेत्र के विभिन्न गांवों और कस्बों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें प्रशासन के समक्ष रखीं। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, चिकित्सा, पेयजल, बिजली, सामाजिक सुरक्षा, सड़क और भूमि विवाद सहित विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई।

शिविर में प्राप्त सात प्रकरणों का अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निस्तारण कर परिवादियों को राहत प्रदान की गई। वहीं, अन्य प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। एसडीएम ऋषिराज कपिल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम आमजन को एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान का अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पडते और प्रशासन सीधे आमजन की समस्याएं सुनकर उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करता है।

एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवादी की समस्या को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना जाए तथा समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे ठाामीणों ने अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। कई मामलों में अधिकारियों ने संबंधित पक्षों को बुलाकर मौके पर ही सुनवाई कर समाधान करवाया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर सांभर तहसीलदार सृष्टि जैन, ब्लॉक सीएमएचओ राज चौधरी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कैलाश चौधरी सहित विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी रही।

श्रद्धांजलि

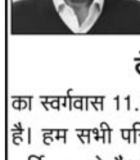

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी **श्री कैलाश चन्द्र तँवर** का स्वर्गवास 11.05.2026 को हो गया है। हम सभी परिवारजन श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।

श्रद्धावनत-ताराचन्द्र (भ्राता), राकेश, प्रकाश, अशोक, मुकेश, मोहित (पुत्र) आकाश, सागर, अभिषेक, ईशान (पौत्र) एवं समस्त तँवर परिवार

नम्बर मिलाइए
8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:- 803 दिनांक:- 12/05/26

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास / फ्लैट संख्या 82/530 (LIG) का आवंटन श्रीमती कल्पना शर्मा पत्नी श्री देवेन्द्र शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 760 दिनांक 26-06-1996 को जारी किया गया था। जिसका नियमितिकरण पत्र क्रमांक 1199 दिनांक 29-07-2002 के द्वारा श्री सोहन सिंह शेखावत पुत्र श्री माल सिंह शेखावत के पक्ष में किया गया। इनके पक्ष में पंजीयन पत्रोनिष्पादन दिनांक 27.06.2005 को कर दिया गया।

श्री सोहन सिंह शेखावत द्वारा उक्त आवास को दिनांक 05.09.2005 को श्रीमती सरोज देवी जैन पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जैन को विक्रय कर उनके पक्ष में विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया।

श्रीमती सरोज देवी जैन की मृत्यु दिनांक 17.12.2007 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री जितेन्द्र जैन पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र जैन एवं श्री महिपाल जैन पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र जैन द्वारा आवासन मण्डल में पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। श्री जितेन्द्र जैन पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र जैन एवं श्री महिपाल जैन पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र जैन का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण रामप्रकाश प्रजापत, सूरज प्रजापत, चंद्र प्रजापत, रामकिशोर प्रजापत पुत्रान भैरूलाल प्रजापत, निवासी बी-14 प्रेमनगर खातीपुरा रोड जयपुर (राज.) ने दिनांक 08/10/2025 को व दिनांक 27/10/2025 को जोइकरारनामे हनुमान सहाय शर्मा पुत्र रामदेव शर्मा जाति ब्राह्मण ग्राम बाढ़ी, छलोतो की ढाणी पोस्ट खेराबिसल, झोटवाड़ा जयपुर (राज.) के पक्ष मे आराजीकृषि भूमि राजस्व ग्राम मंशारामपुरा ह. स्टनाडूंगर भू अभि. नि. मांचवा तहसील कालवाड़, जिला जयपुर खाता सं. नया 205, पुराना 175, खसरा नं. 175 खसरा नं. 240 मे क्षेत्रफल 1. 2393 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 465/247 रकबा 0. 2341 हैक्टेयर को विक्रय करने का इकरार किया उक्त क्रेता द्वारा इकरारनामोकी अपने पक्ष की शर्ते पूर्ण नहीं किए जाने के कारण मेरे उक्त अभिभाष्यगण ने उक्त दोनो इकरारनामे दिनांकित 08/10/2025 व दिनांकित 27/10/2025 को निष्प्रभावी व प्रभावशून्य घोषित कर दिया है। कोई भी व्यक्ति, संस्था, निकाय उक्त इकरारनामोंके आधार पर कोई क्रय-विक्रय या कोई अन्य संव्यवहार करता है तो समस्त क्रय-विक्रय व संव्यवहार मेरे अभिभाष्यगण के प्रति प्रभावशून्य माना व समझा जावेगा। अतएव सूचित रहे।
जयपुर (सतीश मोदी)
दिनांक-14.05.2026 मो. -9314833316

नाम परिवर्तन

मैने अपना नाम मोहन दास से बदलकर मोहन दास गुलवानी रख लिया है। भविष्य में मुझे मेरे नये नाम मोहन दास गुलवानी पुत्र श्री टीकम चन्द गुलवानी के नाम से जाना पहचाना जावें। निवासी ए-1, प्रेम नगर, मॉडल टाउन, जगतपुरा रोड, जयपुर, राजस्थान-302017

मैने अपना नाम अर्जुन से बदलकर अर्जुन नस्कर पुत्र श्री पीयूष नस्कर रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। पताः- बी-51-बी मदर टैरेसा नगर मालवीय नगर जयपुर।

मैने अपना नाम जूली से बदलकर जूली नस्कर पत्नी श्री अर्जुन नस्कर रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। पताः- बी-51-बी मदर टैरेसा नगर मालवीय नगर जयपुर।

मैं, प्रीति बृजेश यादव, पत्नी श्री बृजेश यादव, निवासी विला नं.76, आर्केडिया ग्रीन्स, वैशाली एस्टेट ब्लॉक-बी, जयपुर, राजस्थान, यह घोषित करती हूँ कि मैंने अपना नाम प्रीति जयप्रकाश यादव से बदलकर प्रीति बृजेश यादव कर लिया है। भविष्य में मुझे प्रीति बृजेश यादव के नाम से जाना जाएगा।

I have changed my father's name from Rajendra Kumar to Rajendra in my educational records/12th marksheet. I, Neha Mitharwal, D/o Shri Rajendra, will be known with the correct father's name Rajendra for all future and official purposes. Resident: Khatehpura, Jhunjhunu, Rajasthan.

I army no 10303566P Ex Hav Bhupendra Singh dhapola Resident of plot no 80 A kailash nagar jhotwara jaipur that i want to change name of my dependent from SAKSHI to SAKSHI dhapola vide affidavit dated 11 may 2026 before sub divisional majistrate Jaipur city south

कार्यालय- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर चतुर्थ, द्वितिय तल, हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर
परिवाद संख्या 288/2025
चन्दू कवर बनाम आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव
प्रेषिति-
1. आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड पता आदर्श भवन, तीन बत्ती, सिरोही 307001 राजस्थान जरिये अधिकृत प्रतिनिधि।
2. आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड एम-1, एम-2, सगंम टावर, चर्च रोड, एम आई रोड, सी स्कीम, जयपुर 302001 जरिये प्रबन्धक।
3. आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सेक्टर-11, हिरण मगरी, अग्रवाल धर्मशाला के पास, उदयपुर राज. 313001 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि।
आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि चन्दू कवंर पत्नी श्री कैलाशदान निवासी बीकासर जिला बीकानेर राजस्थान ने इस जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष एक परिवाद पेश किया है।
आपको एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति के तीस दिवस के अंदर अपना पक्ष रखें एवं अपने बचाव में पेश करने वाले समस्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों को पेश करें।
आपको पुनः सूचित किया जाता है कि प्रकरण की सुनवाई दिनांक 29.05. 2026 को प्रातः 10.00 बजे रखी गई है। यदि आप स्वंय अथवा आपके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने में असफल रहे तो उपर्युक्त सुनवाई की तारीख पर परिवाद का एकपक्षीय निर्णय कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 29/4/26 को जारी किया गया।
मोहर अदालत — अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर चतुर्थ, जयपुर

संख्यांक 2
विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश-5 के लिए नियम-1 ओर 5)
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश क्रम-2 जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर
देवेंद्र सिंह बनाम विपिन माथुर
वाद बाबत घोषणा एवं आज्ञात्मक निषेधाज्ञा घोषणा हर्जा इस्तेमली एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं. 663 सन 2025
नेहा माथुर पुत्री श्री कैलाश चाँद माथुर मकान नंबर 480 81 सीताराम भवन मुंशी रामदासजी का रास्ता गंगापोल जयपुर (राज)
सानिया माथुर पुत्री श्री कैलाश चाँद माथुर मकान नंबर 480 81 सीताराम भवन मुंशी रामदासजी का रास्ता गंगापोल जयपुर (राज)
के आपके विरूद्ध वाद बाबत घोषणा एवं आज्ञात्मक निषेधाज्ञा एघोषणा हर्जा इस्तेमली एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 19 माह 5 सन 2026 को दिन में 08 00 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निदेश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा को लिखित कथन दाखिल करे और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिवाद आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रतिष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वादी की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 13 माह 05 सन 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया।
मोहर अदालत — रीडर ग्रेड-प्रथम, अपर जिला एवं न्यायाधीश क्रम-02 जयपुर महानगर द्वितीय

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य रितेश कुमार पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद वर्मा निवासी-मिश्र कॉलोनी फुलेरा, जिला जयपुर की ग्राम नयावास तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर स्थित कास्तकारी भूमि जिसका खसरा नं0-20 है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1. 2140 हैक्टेयर पर काबिज कास्त है जमाबन्दी में भी मेरे अभिभाष्य का नाम अंकित है, को मेरा अभिभाष्य विक्रय करना चाहता है।
अतः इस आम सूचना के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य की उक्त कास्तकारी भूमि के बावत् किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति है तो इस आम सूचना के प्रकाशन से सात दिवस में सम्पर्क कर लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करें। गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नही होगी। सूचित रहे।
जयपुर (मनोज कुमार शर्मा) एडवोकेट
दिनांक-14/05/26 मो. 9314673259

आम सूचना मेरे अभिभाष्य मेजर नरपत सिंह पुत्र स्व. श्री श्याम सिंह द्वारा एक इकरारनामा कुबेर सिंह सुपुत्र नत्थूसिंह निवासी शैतान भवन, वार्ड नं. 25, राजपूतो का मोहल्ला, उदयपुरवाटी (झूंझुनू) बावत अन्य व्यक्ति को विक्रय हेतु, जिसका खसरा नं. 92,93,94,95 (रकबा 0.9485 हैक.) ग्राम सुदर्शनपुरा, सोढ़ाला, तह. जयपुर के मध्य हुआ था।
उक्त सादा कागज सहमति पत्र दिनांक 16.05.2025 से मियाद दिनांक 31.03.2026 तक थी, जिसकी शर्तों का पालन कुबेर सिंह द्वारा नही किया है, जिसकी मियाद अवधि गुजर चुकी है, कुबेर सिंह के साथ किया गया इकरारनामा दिनांक 16.05.2025 शून्य हो गया है। कुबेर सिंह द्वारा अन्य पक्ष को किये गये सभी इकरारनामे शून्य व निरस्त है। उनका इस खसरा नं. 92,93,94,95 पर किसी भी प्रकार का अधिकार, कब्जा, दखल अंदाजी नही है। यदि कुबेर सिंह ने अन्य तृतीय पक्ष को कोई इकरारनामा / आममुख्तारनामा अन्य अभिभाष्य की किसी दीगर व्यक्ति को किया है तो उसकी कोई जिम्मेदारी मेरा अभिभाष्य की नहीं है, वह स्वयं जिम्मेवार होगा। आपत्ति होने पर 3 दिवस में हस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क करें।
जरिए अधिवक्ता-अवनीश कुमार शर्मा (एड.), मो.नं. 9587948458

न्यायालय तहसीलदार फुलेरा मु.सांभरलेक जिला जयपुर
दुरभाष नम्बर 01425-224219
ई-मेल-tdrsbr@ymail.com
क्रमांक-भू.अ./2026/2106 दिनांक-11.5.26
सार्वजनिक सूचना नोटिस
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीया घीसीदेवी पुत्री हनुमान जाति गुर्जर निवासी रामसागर तहसील फुलेरा द्वारा ग्राम सैनीपुरा की आराजी खसरा नंबर 327/11 रकबा 1.7703 हैक्टेयर के मृतक खातेदार हनुमान पुत्र गोदा जाति गुर्जर सा0 देह का फौती नामान्तरण खुलवाने बावत् प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के तहत हाजा न्यायालय मे विचाराधीन है।
अतः यदि किसी वारिस / दीगर व्यक्ति को कोई आपत्ति/ एतराज हो तो आगामी दिनांक 26.05.2026 तक मय दस्तावेज पेश करे अन्यथा इकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित कर दिया जावेगा।
तहसीलदार (भू.अ.) फुलेरा मु साँभर लेक

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर नगर जोन) नगर निगम जयपुर
(अम्बाबाड़ी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाडी सर्किल, जयपुर)
क्रमांकः एफ.55 () वि. जोन / न.नि.ज./2028/254 दिनांकः 13/5/2026
सार्वजनिक सूचना
भूखण्ड सं. 76, अंगीरा नगर, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर (जलमहल गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती अयोध्या पारीक पत्नी श्री माधो बिहारी पारीक के पक्ष में क्षेत्रफल 172.62 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। श्रीमती अयोध्या पारीक पत्नी श्री माधो बिहारी पारीक ने जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2010 को उक्त भूखण्ड श्री देवेन्द्र सिंह सोनी एवं श्री बृजेन्द्र सिंह पुत्रान स्व. श्री अमर सिंह सोनी को विक्रय कर दिया। श्री बृजेन्द्र सिंह उर्फ बिजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री अमर सिंह सोनी ने जरिए पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 01.10.2025 को उक्त भूखण्ड पर से अपना हक श्री देवेन्द्र सिंह सोनी पुत्र स्व. श्री अमर सिंह सोनी को विक्रय कर दिया। श्री देवेन्द्र सिंह सोनी पुत्र स्व. श्री अमर सिंह सोनी द्वारा भूखण्ड संख्या 76, अंगीरा नगर, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर (जलमहल गृह निर्माण सहकारी समिति) क्षेत्र. 172.62 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बावत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त, विद्याधर नगर जोन नगर निगम जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 52/2026
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री कृपाल सिंह मीणा, प्रन्यासी ने पंजीकृत प्रन्यास श्री गोविन्द देव जी एजूकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर, सी-40, कुसुम विहार, जगतपुरा, जयपुर जिसका पंजीयन कमांक 188/2010 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रपत्र-8 प्रस्तुत किया। प्रन्यास की बैठक में संजय खोडा को नवीन ट्रस्टी नियुक्ति कर उनका नाम प्रन्यास रिकार्ड में जोड़ने तथा श्री महेश बेनीवाल, श्री रमेश चन्द वर्मा का त्याग पत्र दिये जाने के कारण उनका नाम प्रन्यास रिकार्ड से हटाकर उक्त परिवर्तनों को प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 14.5.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 19.6.26
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे
आवश्यक सूचना
पत्र संख्याः W/350/1 दिनांकः 14.05.2026
सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है जयपुर–सवाईमाधोपुर सैक्शन में सांगानेर–शिवदासपुरा स्टेशनों के मध्य स्थित रेलवे फाटक संख्या–72 (कालाबड़का फाटक) KM 113/4–5 को दिनांक 15.05.2026 को शाम 22:00 बजे से दिनांक 16.05.2026 सुबह 06:00 बजे तक ट्रैक मरम्मत कार्य हेतु पूर्णरूप से बन्द रहेगा। असुविधा के लिए खेद है।
मण्डल इन्जी.(मुख्या.) जयपुर
/NWRailways @NWRailways_ पर फॉलो करें 720-PH/26

कार्यालय पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जयपुर
Email ID:bdo.jai.gov@gmail.com Phone No. 01423-230025
क्रमांकः- पंसगो / लेखा/ई-निविदा/2026/43 दिनांकः-12.05.2026
निविदा सूचना संख्या /2026-27
वित्तीय वर्ष 2026-27 में पंचायत समिति गोविन्दगढ एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत कार्यों / संकर्म हेतु सक्षम श्रेणी मे पंजीकृत प्रतिष्ठानों / संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र मे निविदाये आमन्त्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in से upload/download की व देखी जा सकती है।
NIB NO online PFA2627A0092
To PFA2627A0094
UBN NO online PFA2627WSOB00092
?? PFA2627WSOB00094
NIB NO offline PFA2627A0095
UBN NO offline- PFA2627SSOB00095
विकास अधिकारी, पं.सं.-गोविन्दगढ (जयपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत भदलाव, पंचायत समिति- सवाई माधोपुर जिला- सवाई माधोपुर
क्रमांकः - 2026 - 27/38 - 39 दिनांक 12/05/2026
ई-निविदा सूचना संख्या -02/2026-27
पंचायत समिति, सवाई माधोपुर के अधीन ग्राम पंचायत भदलाव में विभिन्न योजना में स्वीकृत कार्यो हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया से सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से ऑनलाईन निविदाए आंमत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित नियम, शर्ते व सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की वेबसाइट www.sppp. rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan. gov. in पर देखें एवं डाउनलोड किये जा सकते है।
NIB No.ZSM2627A0102
UBN No. ZSM2627WSOB00136
प्रशासक, ग्राम पंचायत भदलाव — ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भदलाव

SBI Life
अपने लिए. अपनों के लिए.
सूचना
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ) एतद्वारा व्यवसायिक भवन, लीज आधार पर भूस्वामियों से निम्न व्यापक संभावनाओं की पूर्ति हेतु प्रस्ताव निविदाएं आमंत्रित करता है।
1. भवन सभी ऋण भार से स्वतंत्र एवं तुरंत कब्जे हेतु उपलब्ध होना चाहिए।
2. भवन कामर्शियल इलेक्ट्रिक कनेक्शन की व्यवस्था सहित व्यावसायिक भवन होना चाहिए एवं अग्निशमक एनओसी, व्यवसायिक सर्टिफिकेट, भवन का बीमा जिसमें समुचित और बाधा रहित बिजली एवं जल वितरण, साइनेज का स्थान, पार्किंग एवं आधुनिक फायर फाईटिंग सिस्टम, कारों की पर्याप्त पार्किंग इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए।
3. परिसर मानसरोवर, जयपुर के प्रमुख क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर होना चाहिए।
4. भवन का कारपेट एरिया लगभग 1855 वर्गफिट होना चाहिए।
इच्छुक निविदाकर्ता निविदा का प्रारूप को हमारी वेबसाइट www.sbilife.co.in (https://www.sbilife.co.in/en/services/download-centre- RFP forms) से प्रारूप डाउनलोड कर सकते है। पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म तकनीकी निविदा एवं प्राइस बिड अलग-अलग सील बंद लिफाफो में "दी रीजनल डायरेक्टर, जयपुर, एस.बी.आई. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वितीय तल, एआरजी कॉर्पोरेट पार्क, प्लॉट नंबर 8 एवं 9, गोपालबाडी, जयपुर, राजस्थान - पिन - 302001", फोन : 0141-4256600 दिनांक 29.05.2026 तक या पहले पहुँच जाने चाहिए।
एसबीआई लाइफ के पास किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।
दिनांक:- 15.05.2026 स्थान- जयपुर
उक्त प्रदर्शित किया गया ट्रेड लोगों भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है तथा लाइसेंस के अंतर्गत एसबीआई लाइफ द्वाराउपयोग किया जा रहा है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय: नटराज, एमवी रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जंक्शन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069 आईआरडीएआई पंजीकरण सं. 111, सीआईएन: L99999MH2000PLC129113 वेबसाइट: www.sbilife.co.in ई-मेल: info@sbilife.co.in टॉल फ्री नं.: 1800 267 9090 (ग्राहक सेवा समय : 24X7)

कार्यालय प्राचार्य, रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय, भरतपुर
(महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय)
क्रमांकः रा.दे.क.म/स्था./2026-27/5750 दिनांकः 14.05.2026
प्रेस-विज्ञप्ति
ई-निविदा आमंत्रण सूचना 01/2026-27
महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास रूम स्थापना हेतु उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग हेतु ई-निविदा दिनांक 26.05.2026 को अपराह्न 02 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, उपापन किये जाने वाले उपकरणों, स्थापना एवं कमीशनिंग का विवरण निविदा से सम्बन्धित शर्तों एवं अन्य जानकारी https://sppp.rajasthan.gov.in व https://eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
RFP CODE : ECD2627RFP0001
प्राचार्य, रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)